

**राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।**

**S.B. Criminal Revision Petition No.863/2019**

**माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी**

याची के अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता।  
लोक अभियोजक श्री पंकज अग्रवाल।  
अयाची के अधिवक्ता श्री स्नेहदीप ख्यालिया की ओर से  
अधिवक्ता श्री अक्षय शर्मा।

**:: आदेश दिनांक :: 22.5.2019**

याची/याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि याचिका की प्रति अयाची/अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करावे। प्रकरण में तामील पूर्ण मानी जाती है।

अयाची के विद्वान अधिवक्ता वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं। समय प्रदान किया जाता है।

पत्रावली माह जुलाई, 2019 के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध की जावे। तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई है, प्रभावी रहेगा।

(महेन्द्र माहेश्वरी)  
न्यायाधिपति